

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

०५/०५/२२

पत्राचार के पत्रों में अतिरिक्त
 जाता है। मूल दायों में प्राप्ति का पत्र ०-२२-२-१३
 क. अतिरिक्त २२ निम्न ३ व अतिरिक्त - ६ निम्न १७
 अन्तर्गत धारा १५१ (बी) की प्राप्ति नहीं होने
 पर अचारीय की जा चुकी है। एनके प्रमाण
 पत्र भी अचारीय किया जाता है। अन्वय
 निपेक्षा अचारीय का पत्राचार में शर्त प्रमाण
 एनके प्रमाण के अन्तर्गत अचारीय का
 है।

सप्लाइ अधिकारी, चिड़वा

